न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रार्थी/वादी पक्षकारान को मूल वाद में भाग लेने हेतु समुचित अवसर देना आवश्यक समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04, सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुये वादी पक्षकारान को हस्तगत वाद में समुचित अवसर दिया जाना तथा आदेश दिनांक 24.07.2024 को अपास्त किया जाना न्यायासंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया/वादीया अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 24.07.2024 को अपास्त करते हुये पत्रावली पुनः नये नम्बर पर ली जाती है। मूल पत्रावली तलब होकर पुनः दर्ज हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण